प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील क्र. 812/2006

अपीलार्थी: गजेंद्र कुमार

विरुद्ध

प्रत्यर्थी: छत्तीसगढ़ राज्य

27 जुलाई, 2009 को निर्णय सुनाए जाने हेतु सूचीबद्ध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही /-

टी.पी. शर्मा

न्यायाधीश

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील क्र. 812/2006

अपीलार्थी: गजेंद्र कुमार

विरुद्ध

प्रत्यर्थी: छत्तीसगढ़ राज्य

27 जुलाई, 2009 को निर्णय सुनाए जाने हेतु सूचीबद्ध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही /-

टी.पी. शर्मा

न्यायाधीश

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील क्र. 812/2006

अपीलार्थी:	गजेंद्र कुमार, पिता-भुवन दास, उम्र लगभग 20 वर्ष,
(अभियुक्त/दोषसिद्ध)	व्यवसाय मजदूर, निवासी-चैन गंज, थाना-गुंडरदेही,
(अभिरक्षा में)	जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विरुद्ध

प्रत्यर्थी:	छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा पुलिस थाना-गुंडरदेही,
	जिला-दुर्ग (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अंतर्गत दांडिक अपील

उपस्थित: श्री मलय कुमार भादुड़ी, अपीलार्थी के अधिवक्ता ।
श्री सुशील दुबे, राज्य/प्रत्यर्थी के लिए शासकीय अधिवक्ता।

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री टी.पी. शर्मा,

निर्णय

(दिनांक- 27 जुलाई, 2009 को उद्घोषित किया गया)

1. यह दांडिक अपील सत्र प्रकरण क्रमांक-198/2005 में प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा दिनांक 28-10-2006 को पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय के विरुद्ध है, जिसके तहत विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 450 और 376 (1) के तहत अपराध करने के लिए दोषसिद्धि ठहराते हुए उसे क्रमशः पांच साल के लिए सश्रम कारावास और 1,000/- रुपये का जुर्माना, जुर्माना न भरने पर तीन महीने के लिए अतिरिक्त साधारण कारावास. और दस साल के लिए सश्रम कारावास

और 1,000/- रुपये का जुर्माना, जुर्माना न भरने पर तीन महीने के लिए अतिरिक्त साधारण कारावास. भुगतने का दंडादेश सुनाया गया । विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने यह भी निर्देश दिया कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

2. निर्णय को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि बिना किसी बिंदुमात्र साक्ष्य के, विशेषकर अभियोक्त्री की आयु 16 वर्ष से कम होने के, तथा अभियोक्त्री के कथन की संपुष्टि के अभाव में, अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषसिद्धि ठहराया और दंडादेश सुनाई है और जो न्यायोचित नहीं है।

3. अभियोजन पक्ष का मामला, संक्षेप में, यह है कि अभियोक्त्री (अभि०सा०-8), जो घटना की तारीख यानी 19-6-2005 को लगभग 13 वर्ष की थी, रात के लगभग 10 बजे अपनी मां के साथ अपने घर के बाहर बैठी थी, उसकी मां ने उसे कमरे में दीपक जलाने का निर्देश दिया, जब वह कमरे के अंदर गई और दीपक (दीया) जलाया तो उसने देखा कि अपीलार्थी कमरे के अंदर बैठा था और बीड़ी पी रहा था, अपीलार्थी ने अभियोक्त्री से पानी मांगा और जब वह अपीलार्थी को पानी दे रही थी, तो उसने उसे नीचे फेंक दिया और उसका मुंह दबाने और उसके कपड़े हटाने के बाद, उसने अभियोक्त्री के निजी अंग में अपना पुरुष अंग डाल दिया और उस समय, उसकी मां ने उसे बुलाया जिस पर अभियुक्त ने उसे छोड़ दिया। अभियोक्त्री ने घटना अपनी मां को सुनाई। अभियोक्त्री रो रही थी। इसके बाद, वह अपनी मां के साथ पुलिस थाने गई और 20-6-2005 को लगभग 00.30 मध्य रात्रि को घटना के $2^{1/2}$ घंटे के भीतर (प्र.पी-9) के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई। सहमति लेने के बाद, अभियोक्त्री को (प्र.पी-16) के तहत चिकित्सा परीक्षण के लिए भेजा गया। अभियोक्त्री की परीक्षण डॉ रेणुका प्रशांतो (अभि०सा०-6) ने (प्र.पी-7) के तहत की और उसकी उम्र 12 साल आंकी गई। उसके घुटने पर दो खरोंच पाए गए, वह ठीक से चलने की स्थिति में नहीं थी, उसका मासिक धर्म (ऋतुस्राव) शुरू नहीं हुआ था, जघन बाल विकसित नहीं हुए थे, द्वितीयक यौन लक्षण विकसित नहीं हुए थे, हाइमन 8 बजे की स्थिति में फटा हुआ था और छूने पर दर्द होता था, गर्भाशय ग्रीवा अवरुद्ध थी, योनि के अंदर शुक्राणु जैसा स्राव मौजूद था, हाइमन का फटना परीक्षण के 24 घंटे के भीतर हुआ था। योनि धब्बा की दो स्लाइडें ली गईं और उन्हें सील करके कांस्टेबल को सौंप दिया गया। वह अपनी परीक्षण के 24 घंटे के भीतर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

संभोग के अधीन थी। डॉक्टर ने अभियोक्त्री की सलवार, कुर्ता और अंडरवियर की भी परीक्षण की जिसमें वीर्य और खून के धब्बे थे, जैसा कि प्रदर्श पी-8 में बताया गया है। घटनास्थल का नक्शा प्रदर्श पी-3 के अनुसार तैयार किया गया था। अभियोक्त्री के कपड़े प्रदर्श पी-4 के अनुसार जब्त किए गए थे। पटवारी ने घटनास्थल का नक्शा प्रदर्श पी-5 के अनुसार तैयार किया था। अभियुक्त के अंडरवियर को प्रदर्श पी-5 के अनुसार जब्त किया गया था। अभियुक्त को भी परीक्षण के लिए भेजा गया था और वह संभोग करने में सक्षम पाया गया था। अभियुक्त के शुक्राणु को लिया गया और प्रदर्श पी-6 के अनुसार सील कर दिया गया और जब्त कर लिया गया था। अभियोक्त्री की उम्र से संबंधित दस्तावेज यानी कोटवारी रजिस्टर (जन्म रजिस्टर) को प्रदर्श पी-12 के अनुसार जब्त कर लिया गया था, उक्त प्रविष्टि की प्रति प्र.पी-11 है। सुपर्दनामा में रजिस्टर प्र.पी.-13 के तहत दिया गया था। उसके स्कूल प्रवेश रजिस्टर को भी जब्त कर लिया गया था और रजिस्टर की प्रति प्र.पी.-14 और स्थानांतरण प्रमाण पत्र की प्रति प्र.पी.-15 है। अभियोक्त्री की योनि स्लाइड प्र.पी.-17 के तहत जब्त की गई थी। जब्त वस्तुओं को प्र.पी.-21 के तहत रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजा गया था और राज्य एफ.एस.एल., रायपुर द्वारा प्र.पी.-22 के तहत अभियोक्त्री के अंडरवियर, सलवार, कुर्ता और योनि स्लाइड तथा अभियुक्त के अंडरवियर पर शुक्राणु की उपस्थिति की संपुष्टि की गई थी। साक्षियों के कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए और परीक्षण पूरी होने के बाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग के समक्ष आरोप पत्र दायर किया गया, जिन्होंने मामले को सत्र न्यायालय, दुर्ग को सौंप दिया, जहां से विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग ने मामले को सुनवाई के लिए स्थानांतरित कर दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. अपीलार्थी के अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने चौदह साक्षियों से पूछताछ की और अपीलार्थी का कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया, जिसमें उसने अपने खिलाफ दिखाई देने वाली परिस्थितियों से इनकार किया, निर्दोष होने और झूठे आरोप लगाने का अभिवाक़ किया।

5. पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को उपरोक्त तरीके से दोषसिद्धि ठहराया और दंडादेश सुनाई है।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा आक्षेपित निर्णय तथा विचारण न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया है।

7. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि अभियोक्त्री और साक्षियों के कथनों के अनुसार, वर्तमान अपीलार्थी अभियोक्त्री के घर में पहले से ही मौजूद था और वह अभियोक्त्री के घर अक्सर आता-जाता रहता था, इसलिए, भारतीय दंड संहिता की धारा-450 के तहत अपीलार्थी पर लगाई गई दोषसिद्धि और दंडादेश स्थिर रखने योग्य नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष अभियोक्त्री की आयु 16 वर्ष से कम साबित नहीं कर पाया है। स्कूल रजिस्टर में अभियोक्त्री की जन्मतिथि अर्थात् 10-7-91 और जन्म रजिस्टर अर्थात् 22-10-91 में फ़र्क़ है और आयु के निश्चायक सबूत के अभाव में, अभियोजन पक्ष द्वारा अभियोक्त्री की आयु 16 वर्ष से कम साबित नहीं की गई। अभियोक्त्री के साक्ष्य विरोधात्मक, लोप और विसंगति से भरे हुए हैं, जिन पर स्वतंत्र स्रोतों से किसी भी संपुष्टि के बिना भरोसा करना सुरक्षित नहीं है। इसलिए, बलात्संग के अपराध के लिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि भी कानून के तहत स्थिर रखने योग्य नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. दूसरी ओर, राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निर्णय का समर्थन किया और तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष ने जन्म प्रविष्टि रजिस्टर और स्कूल प्रवेश रजिस्टर प्रस्तुत करके अभियोक्त्री की आयु सिद्ध कर दी है, हालाँकि तिथि में विसंगति है, वर्ष में कोई विसंगति नहीं है, और उसकी आयु भी डॉक्टर द्वारा उसकी शारीरिक बनावट के आधार पर निर्धारित की गई है। अतः, अभियोक्त्री की आयु अपराध घटित होने की तिथि को लगभग 12 वर्ष है। उसके साक्ष्य की संपुष्टि उसकी माँ और स्वतंत्र स्रोतों द्वारा की गई है, और चिकित्सा साक्ष्य द्वारा भी पूरी तरह से की गई है, जो यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त है कि अपीलार्थी ही वह व्यक्ति है जिसने नाबालिग अभियोक्त्री के घर के अंदर घुसकर उसके साथ यौन संबंध बनाए और इस प्रकार भारतीय दंड संहिता की धारा 450 और 376 के तहत दंडनीय अपराध किया। अपीलार्थी को दिया गया दंडादेश भी उचित हैं।

9. पक्षकारो के प्रतिविरोध को समझने के लिए मैंने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों की परीक्षण की। अभियोजन पक्ष ने अभियोक्त्री की उम्र 16 वर्ष से कम साबित करने के लिए साक्ष्य पेश किए हैं। अभियोक्त्री की मां श्रीमती जमना बाई (अभि०सा०-2) ने

बयान दिया है कि अभियोक्त्री की उम्र 12 वर्ष है। डोमन सिंह (अभि०सा०-3) ने बयान दिया है कि अभियोक्त्री की उम्र 14 वर्ष है। अभियोक्त्री के परीक्षण के समय न्यायालय ने उसकी उम्र 13 वर्ष आंकी है। अभियोजन पक्ष ने कोटवार अमर दास (अभि०सा०-9) की परीक्षण की है, जिसने कथन किया है कि अभियोक्त्री की जन्मतिथि प्र.पी.-11 में प्रविष्टि के आधार पर 22-10-91 है, किताब को प्र.पी.-12 के तहत जब्त कर लिया गया है और इसे प्र.पी.-13 के तहत सुपर्दनामा में दिया गया है। प्रभारी प्रधानाध्यापक श्रीमती सरोज सोनी (अभि०सा०-10) ने अभियोक्ता की जन्मतिथि 10-7-91 बताई है और उसकी जन्मतिथि स्कूल प्रवेश रजिस्टर प्र.पी-14 और स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्र.पी-15 की प्रति में दर्ज है। अभियोक्त्री का परीक्षण डॉ. रेणुका प्रशांतो (अभि०सा०-6) ने की, जिन्होंने उसकी आयु 12 वर्ष आंकी। साक्षी ने अपनी परीक्षण के दौरान, अभियोक्त्री के शारीरिक रूप-रंग पर ध्यान दिया और उसने बताया कि अभियोक्त्री का मासिक धर्म शुरू नहीं हुआ है, जघन बाल विकसित नहीं हुए हैं और उसके द्वितीयक लैंगिक लक्षण भी विकसित नहीं हुए हैं। प्रभारी प्रधानाध्यापिका श्रीमती सरोज सोनी (अभि०सा०-10) की प्रतिपरीक्षण में प्रतिरक्षा पक्ष कुछ भी उगलवाने में असमर्थ रहा, जिन्होंने अभियोक्त्री की जन्मतिथि 10-7-91 बताई है। अमर दास (अभि०सा०-9), कोटवार ने उसकी जन्मतिथि 22-10-91 बताई है, लेकिन उसने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसने स्वयं ही बच्ची की जन्मतिथि दर्ज की है और यह भी स्वीकार किया है कि प्र.पी.-11 में बच्ची का नाम कुलेश्वरी दर्ज है न कि दुलेश्वरी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. जन्म रजिस्टर में दर्ज जन्मतिथि के आधार पर, अपराध की तिथि पर अभियोक्त्री की आयु 14 वर्ष से कम हो सकती है और स्कूल में प्रवेश के आधार पर भी उसकी आयु 14 वर्ष से कम होगी। श्रीमती जमना बाई (अभि०सा०-2) ने अभियोक्ता की आयु 12 वर्ष बताई है। डोमन सिंह (अभि०सा०-3) ने अपनी आयु 14 वर्ष बताई है। न्यायालय ने उसकी आयु 13 वर्ष आंकी है।

11. वर्तमान मामले में, अभियोक्त्री की जन्मतिथि और माह में फ़र्क़ है, लेकिन वर्ष में कोई फ़र्क़ नहीं है। जन्म रजिस्टर ही आयु का निश्चायक सबूत है। यदि यह संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो आयु का निर्धारण अन्य सुसंगत कारकों, जैसे उसकी शारीरिक बनावट, माता,

पिता और अन्य व्यक्तियों द्वारा निर्धारित आयु, डॉक्टर द्वारा निर्धारित आयु और स्कूल रजिस्टर में दर्ज जन्मतिथि के आधार पर किया जा सकता है।

12. **सिद्धेश्वर गांगुली विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य**[1] के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने ये अवधारणा किया है कि जन्म रजिस्टर में दर्ज आयु के निश्चायक सबूत के अभाव में, अन्य सुसंगत तथ्यों के आधार पर आयु का पता लगाया जा सकता है। आयु निर्धारण के प्रश्न पर विचार करते हुए, **हिमाचल प्रदेश राज्य विरुद्ध मंगो राम**[2] के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने ये अवधारणा किया है कि अभियोक्त्री की आयु शारीरिक विशेषताओं सहित सभी सुसंगत कारकों के आधार पर निर्धारित की जाएगी। उक्त निर्णय के पैरा 11 और 12 इस प्रकार हैं:-

> **11.** हमने प्रतिद्वंदी तर्कों पर ध्यानपूर्वक विचार किया और अभिलेखों तथा आक्षेपित निर्णयों का भी अवलोकन किया। विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा निर्दोष होने का निर्णय मुख्यतः दो आधारों पर दिया गया है: अभियोक्त्री की आयु सोलह वर्ष से अधिक थी और यदि कोई यौन क्रिया हुई भी थी, तो वह उसकी सहमति से ही हुई होगी। ये दोनों निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण और गलत हैं।
>
> **12.** अभियोक्त्री की आयु के संबंध में, (अभि०सा०-2) डॉ. वीना सहगल का साक्ष्य है, जिन्होंने अभियोक्त्री की परीक्षण की और शारीरिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए कहा कि अभियोक्त्री की आयु 13 से 14 वर्ष के बीच होनी चाहिए। डॉ. लोकेंद्र बडोत्रा, (अभि०सा०-3) जिन्होंने अभियोक्त्री की परीक्षण की, ने भी इस कथन का समर्थन किया। यह दृष्टिकोण पारिवारिक इतिहास से और पुष्ट होता है, जिसमें दिखाया गया है कि उसका जन्म वर्ष 1979 में हुआ था। इसलिए, सभी संभावनाओं में, घटना के समय अभियोक्त्री की आयु लगभग चौदह वर्ष थी। (अभि०सा०-13), चिकित्सा अधिकारी-सह-रेडियोलॉजिस्ट का प्रमाण पत्र भी अभियोक्त्री की केवल संभावित आयु देता है। इसलिए, विद्वान सत्र न्यायाधीश का यह निष्कर्ष कि अभियोक्त्री की आयु सोलह वर्ष से अधिक थी, दोषपूर्ण कारणों पर आधारित है और साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[1] AIR 1958 SC 143
[2] (2000) 7 SCC 224

13. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर, अधीनस्थ न्यायालय ने अभियोक्त्री की आयु 16 वर्ष से कम आंकी है। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर, अधीनस्थ न्यायालय का निष्कर्ष मान्य है।

14. बलात्संग के अपराध के संबंध में, अभियोक्त्री (अभि०सा०-8) ने विशेष रूप से यह कथन दिया है कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन जब वह दीया जलाने के लिए अपने घर के अंदर गई, उसने अभियुक्त को अपने कमरे के अंदर पाया, वह धूम्रपान कर रहा था, उसने पानी मांगा और जब वह पानी दे रही थी तो उसने उसका एक हाथ पकड़ लिया, उसे नीचे फेंक दिया और अपने कपड़े और उसके कपड़े भी उतार दिए, और अपना पुरुष अंग उसके निजी अंग में डाल दिया, उस समय उसकी मां ने उसे बुलाया जिस पर अभियुक्त ने उसे छोड़ दिया। उसने अपनी मां को घटना बताई। उसका निजी अंग दर्द कर रहा था और वहां से खून निकल रहा था। उसकी मां ने अभियुक्त पर छड़ी से हमला किया और कुंवर बाई और अन्य व्यक्तियों (आसपास के सदस्यों) को भी घटना बताई। इसके बाद, वह पुलिस थाने गई जहां उसने प्र.पी.-9 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई। अभियोक्त्री को अन्य दस्तावेजों को साबित करने के लिए आंशिक रूप से पक्षद्रोही घोषित किया गया था। उसने आगे यह बयान दिया है कि रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद उसकी डॉक्टर ने परीक्षण की और उसके कपड़े जब्त कर लिए गए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. श्रीमती जमना बाई (अभि०सा०-2), अभियोक्त्री की मां, जो उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन घर के पास मौजूद थीं, ने अभियोक्त्री के साक्ष्य की संपुष्टि की है और इस बात का भी समर्थन किया है कि अभियुक्त घर के अंदर पाया गया था। श्रीमती कुंवर बाई (अभि०सा०-1) ने अभियोजन पक्ष के मामले का पूरी तरह से समर्थन नहीं किया है, लेकिन स्वीकार किया है कि अभियोक्त्री की मां ने उन्हें बताया था कि अभियुक्त ने उनकी बेटी के साथ गलत काम किया है और उन्होंने अभियुक्त के साथ मारपीट भी की थी। डोमन सिंह (अभि०सा०-3) ने बयान दिया है कि अभियोक्त्री की मां ने उन्हें बताया था कि अभियुक्त ने उनकी बेटी के साथ गलत काम किया है, उस समय अभियोक्त्री रो रही थी और वे पुलिस थाने गए जहां उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई। अभियोक्त्री के पिता पोषण लाल (अभि०सा०-5) ने भी अभियोक्त्री के संस्करण का समर्थन किया है।

16. अभियोक्त्री का परीक्षण डॉ. रेणुका प्रशांतो (अभि०सा०-6) ने किया, जिन्होंने बयान दिया कि 20-6-2005 को शाम लगभग 4.30 बजे उन्होंने अभियोक्त्री की परीक्षण की, उसकी योनिच्छद 80' घड़ी की स्थिति में फटी हुई थी, छूने पर दर्द हो रहा था, गर्भाशय ग्रीवा अवरुद्ध थी और शुक्राणु जैसा स्राव मौजूद था। योनिच्छद पर चोट 24 घंटे के भीतर लगी थी। योनि की स्लाइड ली गई। उनकी राय में, अभियोक्त्री के साथ उसकी परीक्षण के 24 घंटे के भीतर संभोग किया गया था प्र.पी.-7 । अपनी विस्तृत प्रतिपरीक्षण में उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उंगली से दबाने से योनिच्छद फट सकती है। पैरा-11 में उन्होंने स्वीकार किया कि अभियोक्त्री के निजी अंग पर अत्यधिक चोटें पाई गईं। इस साक्ष्य ने वास्तव में अभियोक्त्री पर संभोग किए जाने की संपुष्टि की है।

17. अपनी विस्तृत प्रतिपरीक्षण में, अभियोक्त्री (अभि०सा०-8) ने पैरा 12 में स्वीकार किया है कि सबसे पहले वह घर में दाखिल हुई, उसके बाद अभियुक्त ने प्रवेश किया। अभियुक्त अक्सर उसके घर आता-जाता था। उसने यह भी अभिसाक्ष्य दी है कि सबसे पहले वह रोई, जिस पर उसकी माँ आ गई, लेकिन उसकी माँ ने अभिसाक्ष्य दी है कि उसने अभियोक्त्री को बुलाया था, जिस पर अभियोक्त्री कमरे से बाहर आई। अभियोक्त्री और अभियोक्त्री की माँ के कथनों में इस बात को लेकर विसंगतियाँ हैं कि पहले किसने बुलाया था और अभियोक्त्री के साक्ष्य में छोटी-मोटी विसंगतियाँ, विरोधाभास और चूकें भी हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. वर्तमान मामले में, अभियोक्त्री की आयु घटना की तारीख को लगभग 13 वर्ष थी।

19. साक्ष्यों की संपुष्टि विधि का नियम नहीं है, बल्कि यह सावधानी और विवेक का नियम है। किसी भी त्रुटि की स्थिति में, स्वतंत्र स्रोतों से संपुष्टि आवश्यक है। संपुष्टि की आवश्यकता पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने **महाराष्ट्र राज्य विरुद्ध चंद्रप्रकाश केवलचंद जैन**[3] के मामले में यह निर्णय दिया है कि अभियोक्त्री के साक्ष्य की संपुष्टि आवश्यक नहीं है। निर्णय का पैरा-16 इस प्रकार है:-

> 16. यौन अपराध की अभियोक्त्री को सह-अपराधी के समकक्ष नहीं रखा जा सकता। वह वास्तव में अपराध की पीड़िता है। साक्ष्य अधिनियम, 1872 (संक्षेप में 'साक्ष्य अधिनियम') में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि उसके

[3] (1990) 1 SCC 550

साक्ष्य को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी संपुष्टि भौतिक विवरणों से न हो जाए। वह निस्संदेह धारा 118 के अंतर्गत एक सक्षम साक्ष्य है और उसके साक्ष्य को वही महत्व दिया जाना चाहिए जो शारीरिक हिंसा के मामलों में घायल व्यक्ति को दिया जाता है। उसके साक्ष्य के मूल्यांकन में उतनी ही सावधानी और सतर्कता बरती जानी चाहिए जितनी किसी घायल शिकायतकर्ता या साक्ष्य के मामले में बरती जाती है, उससे अधिक नहीं। आवश्यक यह है कि न्यायालय इस तथ्य के प्रति सजग और सचेत रहे कि वह एक ऐसे व्यक्ति के साक्ष्य पर विचार कर रहा है जो उसके द्वारा लगाए गए आरोप के परिणाम में रुचि रखता है। यदि न्यायालय इस बात को ध्यान में रखता है और संतुष्ट है कि वह अभियोक्ता के साक्ष्य पर कार्रवाई कर सकता है, तो साक्ष्य अधिनियम में धारा 114 के दृष्टांत (ख) के समान कोई विधि या प्रथा शामिल नहीं है जिसके लिए उसे पुष्टिकरण की आवश्यकता हो। यदि किसी कारणवश न्यायालय अभियोक्त्री की साक्ष्य पर पूर्ण विश्वास करने में हिचकिचाता है, तो वह ऐसे साक्ष्य की तलाश कर सकता है जो उसकी साक्ष्य को संपुष्टि कर सके, हालाँकि यह संपुष्टिकरण किसी सह-अपराधी के मामले में आवश्यक नहीं है। अभियोक्त्री की साक्ष्य को संपुष्टि करने के लिए आवश्यक साक्ष्य की प्रकृति अनिवार्य रूप से प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर होनी चाहिए। लेकिन यदि अभियोक्त्री वयस्क है और पूरी तरह समझदार है, तो न्यायालय उसके साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि का आधार बना सकता है, जब तक कि उसे कमजोर और अविश्वसनीय न दिखाया जाए। यदि मामले के अभिलेख में दर्ज परिस्थितियों की समग्रता से यह पता चलता है कि अभियोक्त्री के पास आरोपित व्यक्ति को झूठा फंसाने का कोई मजबूत उद्देश्य नहीं है, तो न्यायालय को सामान्यतः उसके साक्ष्य को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. अभियोक्त्री की साक्ष्य से पता चलता है कि अभियुक्त वह व्यक्ति है जो अभियोक्त्री के घर में उसके ऊपर गिर गया और उसके गुप्तांग में अपना पुरुष अंग डाल दिया। यौन संभोग के तथ्य का समर्थन डॉ. रेणुका प्रशांतो (अभि०सा०-6) द्वारा प्र.पी-7 के माध्यम से किया गया

है। उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को लगभग 10 बजे अभियोक्त्री के घर के अंदर अभियुक्त की उपस्थिति, जब घर में कोई भी मौजूद नहीं था और अभियोक्त्री द्वारा अपनी मां को घटना का वर्णन अभियोक्त्री की मां श्रीमती जमना बाई (अभि०सा०-2) की साक्ष्य से संपुष्टि होता है। अभियोक्त्री की साक्ष्य को केवल विसंगति, विरोधाभास और चूक के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता, जो स्वाभाविक है। उसकी साक्ष्य विश्वास पैदा करती है, यह विश्वसनीय है और अवलंब लेने के लिए सुरक्षित है।

21. अभियोजन पक्ष और अन्य गवाहों के साक्ष्य, जो चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा समर्थित थे, तथा रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट प्र.पी-22, जिसमें अभियोजन पक्ष के अंडरवियर, सलवार, कुर्ता और योनि स्लाइड पर शुक्राणु की उपस्थिति की संपुष्टि हुई थी, की सराहना करने के बाद, अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दोषसिद्धि ठहराया और सज़ा सुनाई है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. जहाँ तक भारतीय दंड संहिता की धारा 450 के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि का प्रश्न है, यह स्वीकार किया जाता है कि अभियुक्त अभियोक्त्री के घर के अंदर पाया गया था। गृह-अतिचार को भारतीय दंड संहिता की धारा 442 में परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है: -

> **"442. गृह अतिचार-** जो कोई किसी भवन, तम्बू या जलयान में, जिसका उपयोग मानव निवास के रूप में किया जाता है, या किसी भवन में, जिसका उपयोग पूजा स्थल के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में किया जाता है, प्रवेश करके या उसमें रहकर आपराधिक अतिचार करता है, वह "गृह अतिचार" करता है, यह कहा जाता है।

23. निस्संदेह, अपीलार्थी ने एक नाबालिग के साथ बलात्संग का अपराध किया है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत दंडनीय है और अधिकतम आजीवन कारावास की दंडादेश का प्रावधान है। अभियुक्त ने अभियोक्त्री के घर में प्रवेश किया और बलात्संग का अपराध करने के आशय से घर के अंदर मौजूद रहा और अंततः उसने अभियोक्त्री के साथ बलात्संग का अपराध किया। अपीलार्थी का ऐसा गृह-अतिचार का कृत्य भारतीय दंड

संहिता की धारा 450 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के दायरे में आता है। इसलिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 450 और 376 के अंतर्गत अपीलार्थी की दोषसिद्धि कानून के अंतर्गत विश्वसनीय और ठोस साक्ष्यों पर आधारित है।

24. जहां तक अपीलार्थी पर लगाई गई दंडादेश का सवाल है, अभियोक्त्री की उम्र और अभियोक्त्री के गुप्तांग पर लगी चोट को ध्यान में रखते हुए, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत 10 वर्ष के लिए सक्षम कारावास. की दंडादेश और 1,000/- रुपये का जुर्माना तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 450 के तहत 5 वर्ष के लिए सक्षम कारावास. की सज़ा और 1,000/- रुपये का जुर्माना न तो अत्यधिक है और न ही अन्यायपूर्ण है।

25. उपरोक्त कारणों से, मुझे इस अपील में हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं दिख रहा। अतः यह अपील खारिज किए जाने योग्य है और इसे एतद्द्वारा **खारिज** किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही /-

टी.पी. शर्मा

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By – ADV. ANANDITA PRATHNA BEHRA